

कार्यालय—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

॥ सूचना—पत्र ॥ 26 MAR 2026

क्र. २३७९/दो-१२-१/१९९९(२)

उज्जैन दिनांक.....मार्च, २०२६

इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगणों को सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नई टैक्स रिजीम वित्त वर्ष २०२६-२७ के लिये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी, साथ ही जो भी न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण पुरानी टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं, वे पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प चयन कर सकते हैं, उनका कर निर्धारण पुरानी टैक्स रिजीम के अनुसार किया जावेगा।

नई एवं पुरानी टैक्स रिजीम का चयन करने वाले न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र दिनांक ०१.०४.२०२६ तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में प्रेषित करें, जिसमें उनके वेतन से प्रतिमाह कितना आयकर कटौती किया जाना है, इस बाबत उल्लेख हो !

उक्त दिनांक तक आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के माह मार्च पेड अप्रैल-२०२६ के वेतन से नई टैक्स रिजीम के अनुसार कर-निर्धारण किया जाकर आयकर का कटौती प्रारंभ किया जावेगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)
26 MAR 2026
उज्जैन दिनांक.....मार्च, २०२६

पृ.क्र. २३८०/दो-१२-१/१९९९ (२)

प्रतिलिपि :-

- १- समस्त न्यायाधीशगण, जिला उज्जैन की ओर ई-मेल/व्हाट्सअप के माध्यम से सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- २- प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुविभाग, उज्जैन/महिदपुर/तराना/नागदा/बड़नगर/खाचरौद की ओर समस्त कर्मचारीगण को सूचित किए जाने हेतु प्रेषित।
- ३- जे.एस.ए., जिला न्यायालय, उज्जैन की ओर ई-मेल/व्हाट्सअप के माध्यम से उपरोक्तानुसार प्रेषित किए जाने हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)